भारतीय स्टेट बैंक

तुलन-पत्र 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार

(000s को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	746,57,31	684,03,40
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	117535,67,65	98199,65,14
जमाराशियाँ	3	1394408,50,48	1202739,57,43
उधार राशियाँ	4	183130,88,26	169182,71,36
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	96412,96,19	95405,30,05
योग		**1792234,59,89**	**1566211,27,38**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	6	84955,66,05	65830,41,04
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	47593,97,22	48989,75,41
निवेश	8	398308,18,98	350877,50,51
अग्रिम	9	1209828,71,92	1045616,55,31
अचल आस्तियाँ	10	8002,15,51	7005,02,22
अन्य आस्तियाँ	11	43545,90,21	47892,02,89
योग		**1792234,59,89**	**1566211,27,38**
आकस्मिक देयताएँ	12	1017329,95,45	926374,06,89
उगाही के लिए बिल	-	74028,41,81	66639,54,09
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा-टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000s को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी :		
₹10 प्रति शेयर दर वाले 500,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 500,00,00,000)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी :		
₹10 प्रति शेयर दर वाले 74,66,56,167 ईक्विटी शेयर 68,41,17,046)	746,65,61	684,11,70
अभिदत्त और संदत पूंजी		
₹10 प्रति शेयर दर वाले 74,65,73,092 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 68,40,33,971) [उपर्युक्त में 1,58,73,554 (पिछले वर्ष 1,65,21,526) ईक्विटी शेयर सम्मिलित हैं, जो 79,36,777 (पिछले वर्ष 82,60,763) वैश्विक निक्षेपागार रसीदों के रूप में हैं.)	746,57,31	684,03,40
योग	**746,57,31**	**684,03,40**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**			
	अथशेष	40470,71,09	36052,85,01	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3339,61,91	4417,86,08	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-	
		43810,33,00		40470,71,09
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**			
	अथशेष	1527,25,75	1508,08,79	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	216,75,30	19,16,96	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-	
		1744,01,05		1527,25,75
III.	**शेयर प्रीमियम**			
	अथशेष	31501,19,81	28513,84,58	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	9969,10,90	2991,08,00	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	25,62,11	3,72,77	
		41444,68,60		31501,19,81
IV.	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**			
	अथशेष	3475,33,39	2433,48,66	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2564,67,61	1041,84,73	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-	
		6040,01,00		3475,33,39
V.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ**			
	अथशेष	21224,81,17	14771,55,13	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4796,63,50	6453,26,04	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1525,13,15	-	
		24496,31,52		21224,81,17
VI.	**लाभ और हानि खाते की शेष राशि**	32,48		33,93
	* नोटः राजस्व और अन्य आरक्षितियों में (i) एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹ 5,00,000 हजार (पिछले वर्ष ₹ 5,00,000) एवं (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियाँ 5544,98,43 हजार (पिछला वर्ष ₹4487,00,00 हजार # लेखा निर्तियां पैरा 18.8 खंड 19 के संदर्भ में			
	योग	**117535,67,65**		**98199,65,14**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 3 - जमाराशियाँ

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	**I. माँग जमाराशियाँ**		
	(i) बैंकों से	6041,38,80	7345,35,39
	(ii) अन्य से	107191,08,49	105334,91,78
	II. बचत बैंक जमाराशियाँ	485167,93,49	426383,11,88
	III. सावधि जमाराशियाँ		
	(i) बैंको से	34117,68,40	27855,66,19
	(ii) अन्य से	761890,41,30	635820,52,19
	योग	**1394408,50,48**	**1202739,57,43**
ख)	I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	1305983,94,89	1130136,60,70
	II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	88424,55,59	72602,96,73
	योग	**1394408,50,48**	**1202739,57,43**

अनुसूची 4 - उधार राशियाँ

(000s को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में उधार राशियाँ**				
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		12200,00,00		14476,16,00
	(ii) अन्य बैंक		1121,44,41		5648,85,07
	(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण		8280,19,25		4894,40,03
	(iv) पूंजीगत लिखत :				
	क. नवोन्मिती सतत ऋण लिखत	2165,00,00		2165,00,00	
	ख. गौण ऋण	36671,39,60		34671,39,60	
			38836,39,60		36836,39,60
	योग		**60438,03,26**		**61855,80,70**
II.	**भारत के बाहर से उधार राशियाँ**				
	(i) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित		118948,16,25		103934,09,41
	(ii) पूंजीगत लिखत				
	नवोन्मिती सतत ऋण लिखत		3744,68,75		3392,81,25
	योग		**122692,85,00**		**107326,90,66**
	कुल योग		**183130,88,26**		**169182,71,36**
	उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार राशियाँ		3339,91,31		5244,20,68

अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 - देयताएँ

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	19165,70,27	19686,48,27
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	1502,58,08	16384,11,49
III.	प्रोद्भूत ब्याज	15772,86,89	13333,47,47
IV.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2837,83,06	628,91,86
V.	अन्य (प्रावधान सहित)	57133,97,89	45372,30,96
	योग	**96412,96,19**	**95405,30,05**

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और जमाराशियाँ

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित है)	12456,56,04	11552,19,17
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
	(i) चालू खाते में	72499,10,01	54278,21,87
	(ii) अन्य खातों में	-	-
	योग	**84955,66,05**	**65830,41,04**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	916,04,64	664,07,65
	(ख) अन्य जमा खातों में	13292,53,15	3002,57,75
	(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
	(क) बैंकों में	3650,00,00	7173,00,00
	(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
	योग	**17858,57,79**	**10839,65,40**
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	9555,80,00	25822,33,16
	(ii) अन्य जमा खातों में	2836,10,73	4334,76,89
	(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	17343,48,70	7992,99,96
	योग	**29735,39,43**	**38150,10,01**
	कुल योग (I एवं II)	**47593,97,22**	**48989,75,41**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 8 - निवेश

(000s को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश :**			
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ		308198,80,84	269260,22,00
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभतियाँ		-	-
	(iii) शेयर		3009,16,29	3865,81,59
	(iv) डिबेंचर और बांड		26424,80,57	18892,86,89
	(v) अनुषंगियों और/अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगियों सम्मिलित)		6153,70,49	5465,12,53
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर तथा प्राथमिक क्षेत्र की जमा राशियाँ इत्यादि)		30262,07,21	32508,88,26
	योग		**374048,55,40**	**329992,91,27**
II.	**भारत के बाहर निवेश**			
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित है)		3465,14,10	2860,01,34
	(ii) विदेशों में स्थापित अनुषंगियों और/अथवा संयुक्त उद्यम		2183,71,39	1602,78,14
	(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर)		18610,78,09	16421,79,76
	योग		**24259,63,58**	**20884,59,24**
	कुल योग (I एवं II)		**398308,18,98**	**350877,50,51**
III.	**भारत में निवेश**			
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		374699,15,33	330718,38,30
	(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		650,59,93	725,47,03
	(iii) निवल निवेश (उपर I से)	**योग**	374048,55,40	329992,91,27
IV.	**भारत के बाहर निवेश**			
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		25156,84,83	21257,56,93
	(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		897,21,25	372,97,69
	(iii) निवल निवेश (उपर II से)		24259,63,58	20884,59,24
	कुल योग (III एवं IV)		**398308,18,98**	**350877,50,51**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	77755,08,56	88667,91,97
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	522860,87,39	465451,77,02
	III. सावधि ऋण	609212,75,97	491496,86,32
	योग	**1209828,71,92**	**1045616,55,31**
ख.	I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	949116,35,89	770342,19,70
	II. बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियाँ द्वारा संरक्षित	61654,47,71	93712,47,29
	III. अप्रतिभूत	199057,88,32	181561,88,32
	योग	**1209828,71,92**	**1045616,55,31**
ग.	I. भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता पाप्त क्षेत्र	280819,50,12	264313,88,71
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	74172,44,97	54670,17,17
	(iii) बैंक	99,98,62	68,76,58
	(iv) अन्य	642792,39,65	559156,10,37
	योग	**997884,33,36**	**878208,92,83**
	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	47670,95,07	32915,24,62
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	11768,61,70	21216,56,17
	(ख) सिंडीकेट ऋण	84589,24,23	56258,73,66
	(ग) अन्य	67915,57,56	57017,08,03
	योग	**211944,38,56**	**167407,62,48**
	कुल योग (ग-I- और ग-II)	**1209828,71,92**	**1045616,55,31**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000s को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**परिसर**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31मार्च स्थिति के अनुसार लागत पर	2817,35,62		2142,79,28	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	312,32,09		676,70,93	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	15,37,94		2,14,59	
	अद्यतन मूल्यह्रास	1023,43,87		942,79,55	
			2090,85,90		1874,56,07
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित है)**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	13774,29,40		11847,40,39	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2750,04,31		2442,55,55	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	592,10,36		515,66,54	
	अद्यतन मूल्यह्रास	10306,63,74		9053,34,39	
			5625,59,61		4720,95,01
III.	**पट्टाकृत आस्तियाँ**				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	782,89,10		802,13,34	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान कटौती	549,26,63		19,24,24	
	अद्यतन मूल्यह्रास (प्रावधान सहित)	233,62,47		782,89,10	
		-		-	
	जोड़ेः पट्टा समायोजन और प्रावधान	-		20,27	
			-		20,27
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियाँ (परिसर सहित)**		285,70,00		409,30,87
	योग (I, II, III एवं IV)		**8002,15,51**		**7005,02,22**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
II.	प्रोद्भूत ब्याज	13908,11,79	12090,67,66
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्त्रोत पर काटा गया कर	11880,51,10	5333,66,58
IV.	लेखन सामग्री और स्टांप	116,21,78	97,79,18
V.	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	4,25,91	4,25,91
VI.	अन्य	17636,79,63	30365,63,56
	योग	**43545,90,21**	**47892,02,89**

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	13568,57,28	6194,60,47
II.	अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	2,80,00	2,80,00
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	573861,67,93	471913,15,90
IV.	संघटकें की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	103663,00,11	95428,29,37
	(ख) भारत के बाहर	71539,24,21	77481,61,57
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	125106,49,61	126672,56,77
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	129588,16,31	148681,02,81
	योग	**1017329,95,45**	**926374,06,89**

भारतीय स्टेट बैंक

लाभ और हानि खाता 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(000s को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची सं	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	136350,80,39	119655,10,00
	अन्य आय	14	18552,91,64	16036,84,23
	योग		**154903,72,03**	**135691,94,23**
II.	**व्यय**			
	दिया गया ब्याज	15	87068,63,25	75325,79,65
	परिचालन व्यय	16	35725,85,13	29284,42,23
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		21218,06,48	16976,73,86
	योग		**144012,54,86**	**121586,95,74**
III.	**लाभ**			
	निवल लाभ (वर्ष के लिए)		10891,17,17	14104,98,49
	अग्रानीत लाभ		33,93	33,93
	योग		**10891,51,10**	**14105,32,42**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		3339,61,91	4417,86,08
	पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		216,75,30	19,16,96
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		4796,63,50	6453,26,04
	वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश (लाभांश पर कर)		1,45	-
	चालू वर्ष हेतु लाभांश			
	(i) अंतरिम लाभांश		1119,85,96	-
	(ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		1119,85,96	2838,74,09
	चालू वर्ष हेतु लाभांश पर कर		298,44,54	375,95,32
	तुलनपत्र में ले जायी गई शेषराशि		32,48	33,93
	योग		**10891,51,10**	**14105,32,42**
	प्रति शेयर मूल आय		₹ 156.76	₹ 210.06
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 156.76	₹ 210.06
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
	लेखा टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	102484,10,37	90537,09,93
II.	निवेशों पर आय	31941,87,36	27198,63,17
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	409,30,71	545,13,73
IV.	अन्य	1515,51,95	1374,23,17
	योग	**136350,80,39**	**119655,10,00**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	12611,29,65	11483,71,60
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल)	2279,40,50	1101,91,53
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ /(हानि) (निवल)	(202,68,32)	(3,78,17)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियाँ के विक्रय पर लाभ/(हानि)(निवल)	(38,64,16)	(32,71,93)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ/(हानि)	1895,27,58	1583,08,64
VI.	विदेश/भारत में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	496,85,99	715,51,40
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	2,57,65	55,36
VIII	विविध आय	1508,82,75	1188,55,80
	योग	**18552,91,64**	**16036,84,23**

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियाँ पर ब्याज	77885,70,69	67464,54,74
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	5150,79,30	4124,10,58
III.	अन्य	4032,13,26	3737,14,33
	योग	**87068,63,25**	**75325,79,65**

अनुसूचियाँ

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000s को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	22504,27,73	18380,90,24
II.	भाड़ा, कर और बिजली खर्च	2958,82,55	2438,83,79
III.	मुद्रण और लेखन-सामग्री	344,84,96	297,01,73
IV.	विज्ञापन और प्रचार	278,25,69	384,35,26
V.	(क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	1333,93,66	1139,60,76
	(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	1,08,57	73,37
VII.	लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	168,34,19	124,62,60
VIII.	विधि प्रभार	192,55,28	133,90,64
IX.	डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	673,51,37	515,64,34
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	434,00,14	393,53,33
XI.	बीमा	1468,43,71	1200,71,99
XII.	अन्य व्यय	5367,77,28	4274,54,18
	TOTAL	**35725,85,13**	**29284,42,23**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, ऐतिहासिक लागत परिपाटी / परंपरा के तहत लेखा की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर निरंतर संस्थान आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, के निर्धारित नियामक मानदंड/दिशा-निर्देश भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं पर्याप्त है। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. राजस्व निर्धारण

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भवन आधार पर निर्धारण (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे नकदी आधार पर लेखे में लिया गया है को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया गया है। तथापि, "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाला लाभ प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि से आरक्षित पूंजी लेखा में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशि का विनियोजित निवल है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल विनिवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में प्रतिवेदित किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

क) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जो कि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं ए टी एम इंटरचेंज फीस जो कि प्रोद्भवन आधार पर मान्य होते है, तथा (iii) पुनर्संरचित खातों पर एकमुश्त फीस, जो कि पुनर्संरचना अवधि के दौरान प्रभाजित की जाती है को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय को वसूली के बाद मान्य किया गया है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड एवं जमापत्र जारी करने के लिए भुगतान / खर्च की गई दलाली/ कमीशन को संबंधित बॉन्ड और जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को एकमुश्त प्रभारित किया गया है ।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है:

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को करती है, तो इसे अपने खातों से हटा देती है ।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है ।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त

प्रावधान को आरबीआई के अनुमति के अनुसार राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2 निवेश

सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

सरकारी प्रतिभूतियों से इतर निवेशों को "सौदे की तिथि" (ट्रेड-डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" और "व्यवसाय के लिए धारित"।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, को "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. निवेश जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, को "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. निवेश जिन्हें उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तत्पश्चात विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रेणियों में रखा गया है।

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन :

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. प्रतिभूतियों को एचएफटी/एफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार किया जाता है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उस हेतु पूर्णतया प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है और किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणीः क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को ऐतिहासिक लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग - अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी–बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखे गए श्रेणियाँः** एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :

क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को रु.1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते है।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक हो, के अनुसार किया गया है।

viii. रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण :

क) रिपो/रिवर्स रिपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। तथापि एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है एवं इस तरह के अंतरणों को रिपो/रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची-4 (उधार लेना) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची-7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है। उन पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;

v. दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल -ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ : i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान

ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)

iii. इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध है, से सम्बंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20%

संदिग्ध आस्तियाँ :

प्रतिभूत भाग : i. एक वर्ष तक - 25%

ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%

iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%

अप्रतिभूत भाग : 100%

हानिप्रद आस्तियाँ : 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के पुनर्संरचित लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप दिए गए के पहले एवं बाद के उचित मूल्य की राशि अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा. उपरोक्त आस्तियों से उद्भूत उत्सर्जित ब्याज एवं उचित मूल्य में कमी के प्रावधान को अग्रिम से घटाया गया है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए है। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं और निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

4. अस्थायी प्रावधान

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए है। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स :

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली , मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो. इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों.

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरीवेटिव संविदाएं

भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती है और यदि ये डेरीवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन :

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास/परिशोधन से कम लागत पर अंकन किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई व्यवसाय शुल्क शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते है।

7.3 इन देशीय परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर एवं एटीएम	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	सीधी कटौती पद्धति	अधिग्रहण वर्ष में 100%
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती पद्धति	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	ह्रासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अंतर्गत निर्धारित दर पर

7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास 180 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्धवर्ष के लिए तथा 180 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यह्रास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है।

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु.1000/- से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो, तो को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की अंतिम तत्काल/वायदा दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन :

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत अंतिम दर पर रूपांतरित किया गया है।

iii. निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।

iv. विदेश स्थित कार्यालयों की आस्तियों और देयताओं की विदेशी मुद्रा (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को उस देश में प्रयोज्य तत्काल दरों का प्रयोग करके स्थानीय मुद्रा में रूपांतरित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन :

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रेनित विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभः

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार है। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि या रु.दस लाख की अधिकतम राशि होती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है । बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रेनित बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. **नियत अंशदान योजनाएँ :**

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है एवं नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबन्धित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा और इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा. बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. **कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :**

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बंधित देशों के स्थानीय विधियों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है ।

12. आय पर कर :

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होती है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबन्धित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रेनित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/होना निश्चित है।

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आइसीएआइ द्वारा जारी लेखा मानक-20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना ईक्विटी शेयर धारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया है, तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियां

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है;

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता। ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को दिये जाने वाले रिवार्ड पॉइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. बुलियन लेनदेन

बैंक अपने ग्राहकों को बिक्री करने के लिए बुलियन आयात परेषण आधार पर करता है जिसमें बहुमूल्य धातु बार भी शामिल हैं। आयात पूर्णतया बैक टू बैक आधार पर किए जाते हैं और आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत इस मूल्य के आधार पर ग्राहकों के लिए इसका मूल्य निर्धारित किया जाता हैं। बैंक इस थोक बुलियन लेनदेन पर फीस अर्जित करता है। इस फीस को कमीशन आय की श्रेणी में रखा गया है। बैंक सोना जमा भी रखता है और उधार भी देता है। इन्हें यथास्थिति जमाराशियाँ/अग्रिम माना जाता है और दिए गए/प्राप्त ब्याज को दिए गए ब्याज/आय की श्रेणी में रखा जाता है।

16 विशेष रिज़र्व :

आय और अन्य रिज़र्व में आयकर अधिनियम 1965 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व सम्मिलित हैं। निदेशक बोर्ड ने एक संकल्प पारित करके रिज़र्व सृजन हेतु अनुमोदन किया है। उन्होंने इस बात की पृष्टि की है कि विशेष रिज़र्व हटाने की उनकी कोई मंशा नहीं हैं।

17 .शेयर जारी करने का व्यय

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं।

अनुसूची - 18 लेखा-टिप्पणियाँ

18.1 पूंजी :

पूँजी अनुपात : (राशि करोड़ ₹में)

बेसल - II के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	अप्रयोज्य	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	9.98%	9.49%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.98%	3.43%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात - (%)	12.96%	12.92%

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.59%	अप्रयोज्य
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	9.72%	
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.72%	
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात - (%)	12.44%	
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.60%	62.31%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या	43,74,59,825	42,62,41,140
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	10031.65	3004.07
(viiii)	अतिरिक्त टियर - 1 पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित क) पीएनसीपी एस ख) पीडी आई	- -	- -
(ix)	टियर - 2 पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित क) ऋण पूंजी लिखत ख) प्रिफरेंस शेयर पूंजी लिखत : ढ) बेमियादी संचयी प्रिफरेंस शेयर (पीसीपीएस) /प्रतिदेय असंचयी प्रिफरेंस शेयर (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी प्रिफरेंस शेयर (आरसीपीएस)	 2000 -	 - -

2. शेयर पूंजी

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को प्रिफ़रेन्सियल आबंटन के अंतर्गत ₹ 10/- प्रति शेयर दर वाले 1,12,18,685 शेयर, ₹1772.74 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आबंटित किए जिनका कुल मूल्य ₹2000 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹2000करोड़ की रकम में से ₹11.22 करोड़ की रकम शेयर पूंजी खाते में और बाकी बचे ₹1988.78करोड़ की रकम शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई।

ख) बैंक ने सापेक्ष संस्था नियोजन के अधीन ₹10 /- प्रति शेयर नकदी मूल्य के 5,13,20,436 इक्विटी शेयरों को ₹1,555/- प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम की दर से कुल ₹8031.65 /- करोड़ के शेयर आबंटित किया है। क्यू आई पी के माध्यम से प्राप्त कुल अशंदान में से ₹51.32/- करोड़ की राशि शेयर पूंजी खाते में एवं ₹7980.33/- की राशि शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई।

ग) बैंक ने राइटस इश्यू के अंतर्गत ₹10/- प्रति शेयर की दर से जारी किए गए 83,075 (पिछले वर्ष 83,075) इक्विटी शेयरों के आबंटन को रोके रखा है क्योंकि या तो वे विवादग्रस्त थे अथवा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन थे।

घ) शेयर जारी करने की प्रक्रिया में खर्च किए गए ₹25.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3.73 करोड़) की राशि को शेयर प्रीमियम खाते में नामे किया गया है।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

क) विदेशी

विदेशी मुद्रा में जारी तथा संमिश्र टियर-I पूंजी के अंतर्गत आने वाले एवं बकाया आईपीडीआई का विवरण निम्नवत है :

₹ करोड़ में

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.14 तक समतुल्य ₹	31.03.13 तक समतुल्य ₹
एमटीएन कार्यक्रम - 12वीं श्रृंखला * के अंतर्गत जारी बांड	15.02.2007	बेमियादी नॉन कॉल 10.25 वर्ष	- 400 मिलियन अमेरिकी डालर	2396.60	2,171.40
एमटीएन कार्यक्रम- 14वीं श्रृंखला# के अंतर्गत जारी बांड	26.06.2007	बेमियादी नॉन कॉल - 10 वर्ष 01 दिन	- 225 मिलियन अमेरिकी डालर	1348.09	1,221.41
योग			**625 मिलियन अमेरिकी डालर-**	3744.69	3,392.81

* यदि बैंक 15.05.2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा.

यदि बैंक 27.06.2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा.

ये बांड असुरक्षित हैं एवं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं.

ख) देशीय :

बकाया (आईपीडीआई) देशीय का विवरण निम्नानुसार हैं: ₹ करोड़ में

क्रम संख्या	बांड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर% वार्षिक
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2009-10 (टियर-I) श्रृंखला–I	1,000	14.08.2009	9.10
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2009-10 (टियर-I) श्रृंखला-II	1,000	27.01.2010	9.05
3	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बांड 2007-08 एस बी आई एन श्रृंखला - VI टियर-I)	165	28.09.2007	10.25
कुल		**2,165***		

* वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बाज़ार से लिए गए ₹ 2,000 करोड़ शामिल है जिसमे से ₹ 500 करोड का निवेश जिसे एस बी आई कर्मचारी पेंशन फंड ने किया है को आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार टियर -II पूंजी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है ।

4. गौण ऋण

बाँड समतुल्य पर अप्रत्याभूत, लम्बी अवधि, अपरिवर्तनीय एवं रिडिम योग्य होते हैं। बकाया गौण ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	बांड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि/ मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2005 (निम्न टियर-II)	3,283.00	05.12.2005 05.05.2015	7.45	113
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (उच्च टियर-II)	2,327.90	05.06.2006 05.06.2021	8.80	180
3	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (II) (उच्च टियर-II)	500.00	06.07.2006 06.07.2021	9.00	180
4	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (III) (उच्च टियर-II)	600.00	12.09.2006 12.09.2021	8.96	180
5	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 (IV) (उच्च टियर - II)	615.00	13.09.2006 13.09.2021	8.97	180
6	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड – 2006 (V) (उच्च टियर - II)	1,500.00	15.09.2006 15.09.2021	8.98	180
7	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड – 200 (VI) (उच्च टियर - II)	400.00	04.10.2006 04.10.2021	8.85	180
8	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड- 2006 (VII) (उच्च टियर II)	1,000.00	16.10.2006 16.10.2021	8.88	180
9	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (VIII) (उच्च टियर II)	1,000.00	17.02.2007 17.02.2022	9.37	180
10	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006 (IX) (निम्न टियर - II)	1,500.00	28.03.2007 27.06.2016	9.85	111
11	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2007-08 (I) (उच्च टियर II)	2,523.50	07.06.2007 07.06.2022	10.20	180
12	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2007-08 (II) (उच्च टियर II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
13	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008-09 (I) (उच्च टियर II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
14	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114

क्रम संख्या	बांड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि/ मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
15	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008-09 (III) (उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
16	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
17	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008-09 (V) (उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
18	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2005-06 एस बी एस (श्रृंखला – I) (निम्न टियर II)	200.00	09.03.2006 09.06.2015	8.15	111
19	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006-07 एस बी एस (श्रृंखला - II) (निम्न टियर II)	225.00	30.03.2007 30.06.2016	9.80	111
20	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2004-05 एस बी आई एन (श्रृंखला – I) (निम्न टियर II)	200.00	15.02.2005 15.05.2014	7.20	111
21	एस बी आई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2005-06 एस बी आई एन (श्रृंखला - II) (निम्न टियर II)	140.00	29.09.2005 29.09.2015	7.45	120
22	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2005-06 एस बी आई एन (श्रृंखला – III) (निम्न टियर II)	110.00	28.03.2006 28.03.2016	8.70	120
23	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006-07 एस बी आई एन (श्रृंखला - IV) (उच्च टियर II)	100.00	29.12.2006 29.12.2021	8.95	180
24	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2006-07 एसबीआईएन (श्रृंखला - V) (उच्च टियर II)	200.00	22.03.2007 22.03.2022	10.25	180
25	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2008-09 एसबीआईएन (श्रृंखला – VII) (उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
26	निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2010 (श्रृंखला - I) का एसबीआई सार्वजनिक निर्गम	133.08	04.11.2010 04.11.2020	9.25	120
27	निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2010 (श्रृंखला - II) का एसबीआई सार्वजनिक निर्गम	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180
28	निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (श्रृंखला - 3) का एसबीआई सार्वजनिक निर्गम	559.40	16.03.2011 16.03.2021	9.75	120
29	निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 थोक (श्रृंखला - 3) का एसबीआई सार्वजनिक निर्गम	171.68	16.03.2011 16.03.2021	9.30	120
30	निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 खुदरा (श्रृंखला - 4) का एसबीआई सार्वजनिक निर्गम	3,937.60	16.03.2011 16.03.2021	9.95	180
31	निम्न टियर II अपरिवर्तनीय बांड 2011 थोक (श्रृंखला - 4) का एसबीआई सार्वजनिक निर्गम	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
32	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बांड - 2013-14 एसबीआईएन (टियर II)	2000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
कुल		**36,671.40**			

18.2 निवेश :

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1. निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	3,74,699.15	3,30,718.38
(ख) भारत से बाहर	25,156.85	21257.57
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	650.60	725.47
(ख) भारत से बाहर	897.21	372.98
iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	3,74,048.55	3,29,992.91
(ख) भारत से बाहर	24,259.64	20884.59
2. निवेशों के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) अथशेष	1,098.45	2139.32
ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,337.20	303.44
iii) घटाएँ : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन/ वर्ष के दौरान उपयोगिता	113.89	79.58
iv) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	773.95	1,264.73
v) इति शेष	1,547.81	1,098.45

टिप्पणियाँ :

क. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों में चलनिधि समायोजन सुविधा (लेफ़) एवं आरबीआई के साथ मार्जिनल स्टेंडिंग सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत उपयोग में लाई गई क्रमशः ₹25,852 करोड़ और ₹28,250 करोड़ शामिल नहीं है।

ख. ₹6,587.88 करोड़ की प्रतिभूतियाँ क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि./एनएससीसीएल/एमसीएक्स/यूएसईआईएल के पास प्रतिभूति समाधान हेतु रखा गया है।

ग. जन हिस्सेदारी पर प्रतिभूति संविदा विनियम (संशोधित) 2010 के अनुपालन में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को संस्थागत नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से 12,13,630 इक्विटी शेयर जारी किए। इस कारण से स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 92.33% से घटकर 90% रह गया और जनता की हिस्सेदारी बढ़कर 10% हो गई है।

घ. वर्ष के दौरान बैंक ने हिस्सेदारी में बिना किसी परिवर्तन के एसबीआई जेनेरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ₹185.00 करोड़ एवं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में ₹462.00 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया है।

ङ. भारतीय स्टेट बैंक ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) को ₹47.37 करोड़ के बराबर के निवेश के साथ निगमित किया है ।

च . भारतीय स्टेट बैंक ने ₹258 करोड़ का निवेश कर अपनी अनुसंगी पी टी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया में 23% की अतिरिक्त हिस्सेदारी प्राप्त की, जिसके कारण भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी बढ़कर 99% हो गई है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में ₹157.27 करोड़ की अतिरिक्त राशि का निवेश किया है ।

छ. भारतीय स्टेट बैंक ने ₹24.42 करोड़ का निवेश कर अपनी अनुसंगी एसबीआई (मारीशस) में 2.96% की अतिरिक्त हिस्सेदारी प्राप्त की, जिसके कारण भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी बढ़कर 96.36% हो गई है ।

ज. वर्ष के दौरान बैंक ने, हिस्सेदारी में परिवर्तन किए बिना, निम्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया।

₹ करोड़ में

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि
पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	11.73
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	31.56
मिजोरम ग्रामीण बैंक	6.53
कुल	**49.82**

झ. बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से निम्न विवरणों के अनुसार अपनी हिस्सेदारी वापस ले लिया।

₹ करोड़ में

संस्थान का नाम	रकम
कृष्णा ग्रामीण बैंक	6.92
पर्वतीय ग्रामीण बैंक	1.32
कुल	**8.24**

2. रिपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा समेत (एलएफ) :

वर्ष के दौरान रिपो और प्रत्यावर्तित रिपो एल ए एफ समेत के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2014 को राशि
रिपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	60,000.00	19,082.92	54,102.00
	(-)	(44,000.00)	(15,910.39)	(42,000.00)
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	442.80	2,166.74	496.99	795.82
	(-)	(135.30)	(33.36)	(-)
प्रत्यावर्तित रिपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	5.77	6,278.73	278.22	-
	(9.02)	(12,057.64)	(499.47)	(20.65)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना : बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है :

₹ करोड़ में

क्रम सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी नियोजन की मात्रा	''निवेश टियर से कम'' प्रतिभूतियों की मात्रा*	''बिना रेटिंग वाली'' प्रतिभूतियों* की मात्रा	''असूचीगत'' प्रतिभूतियों* की मात्रा
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	12,884.38	2,381.60	571.62	714.96	829.48
		(12,063.43)	(825.29)	(-)	(-)	(19.45)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	11,488.61	2,377.99	-	-	200.00
		(10,803.72)	(2,868.58)	(-)	(-)	(216.20)
(iii)	बैंक	19,883.51	5,515.59	27.41	-	192.10
		(21,522.63)	(10,386.50)	(-)	(-)	(205.54)
(iv)	निजी कारपोरेट	20,300.37	4,862.92	184.09	1,143.91	126.37
		(13,558.81)	(5,327.61)	(1,345.57)	(504.11)	(118.62)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम **	8,340.29	-	-	-	-
		(7,070.77)	(-)	(-)	(-)	(-)
(vi)	अन्य	18,760.03	-	119.34	499.09	375.77
		(17,696.21)	(-)	(-)	(393.23)	(195.14)
(vii)	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान	1547.81	-	-	337.13	-
		(1,098.29)	(-)	(-)	(262.15)	(-)
	योग	**90,109.38**	**15,138.10**	**902.46**	**2,020.83**	**1,723.72**
		(81,617.28)	**(19,407.98)**	**(1,345.57)**	**(635.19)**	**(754.95)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

*इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकारी प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशोंको इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हे रेटिंग/ लिस्टिंग दिशा निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

अन्य में नाबार्ड के आरआईडीएफ जमा योजना के तहत जमा राशि ₹11,321.50 करोड़ (पिछला वर्ष ₹13,330.20 करोड़) एवं नाबार्ड के शहरी एवं ग्रामीण आवास फंड के तहत ₹1,141.60 करोड़ (पिछला वर्ष ₹552.22 करोड़) शामिल है।

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेश

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	1042.49	860.50
वर्ष के दौरान वृद्धि	206.11	311.11
वर्ष के दौरान कमी	313.37	129.12
इति शेष	935.23	1,042.49
रखे गए कुल प्रावधान	892.29	894.86

ग) एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है ।

18.3 डेरीवेटिव्स :

क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

₹ करोड़ में

विवरण	31मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
i) विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि	1,53,015.27	1,60,156.94#
ii) प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	2830.11	4,078.75
iii) विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv) विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	नगण्य	नगण्य
v) विनिमय - बही का उचित मूल्य	987.06	2,318.49

बैंक अपने विदेश स्थित कार्यालयों में आईआरएस/एफआरए के कुल ₹10,338.05 करोड़ की प्रविष्टियां की है एवं चूंकि वे एफसीएनबी कॉरपस हेजिंग हेतु है तथा बाजार को अंकित नहीं है, उन्हें यहां दर्शाया नहीं गया है.

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	888.23	निरंक
2	31मार्च 2014 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि		
क	ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
ख	10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	2.00	निरंक
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं
4	**बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है.**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

ग) ऋण चूक स्वैप

₹ करोड़ में

क्र. सं	विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेनदेनों की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	3
	उनमें से जो भौतिक रुप से निपटाएं गए/जाएंगे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	नकदी निपटान				
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय की गई संरक्षण की मात्रा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाए गए/जाएंगे				
	ख) नकदी निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जिनमें क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त /प्रदत्त किए गए	निरंक	निरंक	निरंक	3
	क) वर्तमान वर्ष से संबंधित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख) पिछले वर्ष से संबंधित				
4.	पिछले वर्ष इसी तारीख से सीडीएस लेनदेन से सम्बंधित निवल आय/लाभ (खर्च/हानी)	निरंक	0.83	निरंक	13.19
	क) प्रीमियम अदा/प्राप्त किया गया।	निरंक	निरंक	निरंक	108.57
	ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान :				
	*अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	*प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)				
5.	31 मार्च तक बकाया लेनदेन	निरंक	निरंक	निरंक	1
	क) लेनदेनों की संख्या				
	ख) संरक्षण की मात्रा	निरंक	निरंक	निरंक	54.29
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन की उच्चतम बकाया				
	क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल के अनुसार)	निरंक	1	निरंक	13
	ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल के अनुसार)	निरंक	59.39	निरंक	546.90

घ) डेरीवेटिव्स में जोखिम वाले निवेश का प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

i. बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर का लेनदेन करता है. बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया, उनमें रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, मुद्रा विनिमय, रुपया डालर ऑप्शन और परस्पर-मुद्रा ऑप्शन शामिल हैं. बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय - प्रस्ताव, उनके निवेशों की बचाव -व्यवस्था करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएँ निष्पादित करता है. बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलनपत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है. बैंक इस प्रकार के सामान्य लिखतों का भी लेनदेन करता है। बैंक ने ग्राहकों से विकल्प सौदे और संरचनागत उत्पाद - विक्रय का लेनदेन किया है ।

ii. डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होते हैं अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही ऋण जोखिम अर्थात् यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में भविष्य में हानि उठ्नी पड़ सकती है. बोर्ड द्वारा यथाविधि अनुमोदित बैंक की 'डेरीवेटिव्स नीति' में बाजार जोखिम (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आंरभिक राशि सीमा, अवधि,संशोधित अवधि, पीवी 01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि, सीमाएं ग्राहक सटीकता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि भी निर्धारित किए गए हैं. केवल इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरें उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया गया है। बाध्यताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण -सीमा निर्धारित किया जाता है एवं बैंक ऐसे प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार भी करता है।

iii. उपरोक्त जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगरानी रखती है। ट्रेजरी स्थित बैंक का मिड-ऑफिस एवं जोखिम नियंत्रण विभाग (एमओआरसी) जो कि अब बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कहलाता है, डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन तथा अनुवर्तन करता है और इन जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है। साथ ही बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरीवेटिव्स के लिए लेखा नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2013-14 की प्रमुख लेखा नीति (पीएपी) : अनुसूची 17 में दिया गया है.

v. विदेशी कार्यालयों में ब्याज दर विनिमय का उपयोग मुख्यतः आस्ति और देयताओं की बचाव - व्यवस्था हेतु किया जाता है.

vi. बचाव - व्यवस्था विनिमय के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों के विनिमयों में, हमारे विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले परस्पर मुद्रा - विनिमय, जो ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में मुख्यतः विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमाराशियों की बचाव - व्यवस्था हेतु निष्पादित होते हैं, शामिल हैं.

vii. हमारे अधिकांश विनिमय प्रथम टियर के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ निष्पादित होते थे।

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

₹ करोड़ में

	विवरण	मुद्रा डेरीवेटिव्स		ब्याज दर डेरीवेटिव्स	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	डेरीवेटिव्स				
	(आनुमानिक मूल राशि)				
	(क) हेड्जिंग के लिए	9,989.92@	8,325.96	60,742.05#	64,928.34
	(ख) क्रय-विक्रय के लिए *	4,85,254.19	3,55,442.49@	92,273.20	95,228.60#
(ii)	बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
	(क) आस्ति	14,876.90	1,341.90	482.13	54.67
	(ख) देयता	18,761.24	निरंक	256.11	निरंक
(iii)	ऋण जोखिम	27,578.81	7,592.19	3,907.81	5,218.35
(iv)	ब्याज दर (100* पीवी 01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव				
	(क) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर	0.05	(52.68)	(128.55)	(917.87)
	(ख) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर	10.53	10.95	1.02	(196.69)
(v)	वर्ष के दौरान 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	क) हेड्जिंग पर - अधिकतम	0.08	निरंक	49.11	(159.70)
	- न्यूनतम	0	(77.68)	(130.06)	(1,126.65)
	ख) क्रय-विक्रय पर - अधिकतम	16.49	15.22	59	885.78
	- न्यूनतम	(1.7)	(5.29)	(22.16)	(1,108.33)

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ प्रविष्ट स्वेप्स की ₹ 8,040.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6,574.73करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आईआरएस/एफआरए की ₹12,926.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10,338.05 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

* बैंक के विदेशी कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। (करेंसी डेरावेटिव्स - ₹531.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,349.04 करोड़) एवं ब्याज दर डेरीवेटिव्स – करोड़ ₹53.99 (पिछले वर्ष ₹167.53 करोड़)

1. 31.03.2014 तक ग्लोबल मार्केटस् यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप डिपार्टमेंट के बीच डेरीवेटिव्स व्यापर की बकाया अनुमानित राशि ₹21,552.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21,429.35करोड़) है एवं 31 मार्च 2014 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी कार्यालयों के बीच किए गए डेरीवेटिव्स व्यापार की राशि ₹ 29,754.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹35,082.63 करोड़) है।
2. ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2014 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 74,877.22 करोड़ (₹ 80,144.28 करोड़) है।
3. ऋण चूक स्वैप सौदा : इस सौदे में दिनांक 31 मार्च 2014 तक कुल बकाया राशि निरंक (पिछले वर्ष ₹54.29 करोड़) है।

18.4 आस्ति - गुणवत्ता

क) अनर्जक आस्तियाँ

₹ करोड़ में

विवरण		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
i)	कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	2.57%	2.10%
ii)	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
	(क) अथशेष	51,189.39	39,676.46
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियाँ)	41216.67	31,993.35
	उप-योग (I)	**92,406.06**	**71,669.81**
	घटाएँ:		
	(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	10,183.27	10,119.35
	(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	7,734.94	4,766.30
	च) तकनीकी /विवेकपूर्ण बट्टे खाता	निरंक	निरंक
	(छ) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	12,882.50	5594.77
	उप - योग (II)	**30,800.71**	**20,480.42**
	(च) इति शेष (I-II)	61,605.35	51,189.39
iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथ शेष	21,956.48	15,818.85
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	22,293.57	17,825.95
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	13,153.98	11,688.32
	(घ) इति शेष	31,096.07	21,956.48
iv)	अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथ शेष	29,232.91	23,857.61
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	18,923.10	14,167.40
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	17,646.73	8,792.10
	(घ) इति शेष	30,509.28	29,232.91

अथशेष एवं इतिशेष में प्राप्त एवं स्थगित डीआईसीजीसी/ईसीजीसी दावे शामिल हैं और बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹ 71.12 करोड़ (पिछला वर्ष ₹46.32 करोड़) एवं ₹69.30 करोड़ (पिछला वर्ष ₹71.12करोड़) है।

ख) पुनर्संरचना खाते

₹करोड़ में

क्रम सं	पुनर्संरचना के तरीके / आस्ति वर्गीकरण विवरण		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
1	1 अप्रैल 2013 तक पुनर्संरचना वाले खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की संख्या	105 (71)	10 (8)	30 (15)	0 (1)	145 (95)	326 (1642)	51 (146)	127 (226)	3 (1)	507 (2015)
		बकाया राशि	14914.32 (7112.82)	586.44 (340.09)	2119.60 (946.81)	0.00 (0.18)	17620.36 (8399.90)	2064.70 (2378.45)	450.71 (211.12)	522.11 (64.42)	0.34 (-)	3037.86 (2653.99)
		संबन्धित प्रावधान	1384.65 (794.41)	39.78 (17.02)	82.90 (141.36)	0.00 (-)	1507.33 (952.79)	106.89 (37.03)	66.20 (16.54)	52.92 (8.23)	0.00 (-)	226.01 (61.80)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नयी पुनर्संरचना*	उधारकर्ताओं की संख्या	48 (66)	6 (4)	7 (14)	1 (-)	62 (84)	254 (201)	24 (33)	62 (31)	0 (1)	340 (266)
		बकाया राशि	11870.52 (9314.95)	691.25 (252.81)	867.57 (1539.78)	57.43 (-)	13486.76 (11107.54)	2656.82 (2500.14)	207.91 (324.97)	703.13 (293.95)	48.70 (0.040	3616.55 (3119.10)
		संबन्धित प्रावधान	944.21 (868.52)	26.58 (34.790	286.56 (487.89)	57.43 (-)	1314.78 (1391.20)	75.20 (81.43)	19.05 (27.87)	98.34 (11.48)	-2.74 (-)	189.85 (120.78)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की संख्या	1 (3)	2 (-1)	-3 (-2)	0 (-)	0 (-)	6 (9)	-4 (-8)	-2 (-1)	0 (-)	0 (-)
		बकाया राशि	126.84 (155.69)	17.59 (-48.66)	-144.43 (-107.03)	0.00 (-)	0.00 (-)	50.25 (12.29)	-50.25 (-12.29)	0.00 (-)	0.00 (-)	0.00 (-)
		संबन्धित प्रावधान	0.58 (67.39)	0.00 (-11.30)	-0.58 (-56.09)	0.00 (-)	0.00 (-)	6.08 (0.01)	-6.08 (-0.01)	0.00 (-)	0.00 (-)	0.00 (-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान और/या जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या	-9 (-15)				-9 (-15)	-10 (-1357)				-10 (-1357)
		बकाया राशि	-388.15 (-738.64)				-388.15 (-738.64)	-35.76 (-221.12)				-35.76 (-221.12)
		संबन्धित प्रावधान	-15.61 (-75.71)				-15.61 (-75.71)	-0.02 (-1.50)				-0.02 (-1.50)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की संख्या	-26 (-10)	0 (2)	24 (8)	2 (-)	0 (-)	-23 (-41)	-4 (9)	20 (28)	7 (4)	0 (-)
		बकाया राशि	-4830.76 (-813.81)	-441.39 (81.56)	4829.84 (732.25)	442.30 (-)	0.00 (-)	-418.37 (-315.50)	-73.51 (180.06)	454.73 (135.02)	37.15 (0.42)	0.00 (-)
		संबन्धित प्रावधान	-353.14 (-47.55)	-0.70 (4.47)	353.74 (43.08)	0.10 (-)	0.00 (-)	-49.08 (-4.02)	-8.99 (-2.22)	55.28 (6.24)	2.78 (-)	0.00 (-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन**	उधारकर्ताओं की संख्या	9 (10)	5 (3)	18 (5)	0 (1)	32 (19)	70 (78)	32 (111)	129 (151)	1 (1)	232 (341)
		बकाया राशि	558.17 (116.69)	17.79 (39.36)	2606.14 (992.21)	0.00 (0.18)	3182.10 (1148.44)	483.36 (1788.61)	283.16 (161.13)	470.01 (-31.97)	0.02 (0.05)	1236.55 (1917.82)
		संबन्धित प्रावधान	324.37 (222.41)	5.31 (5.20)	201.89 (533.34)	57.43 (-)	589.00 (760.95)	21.86 (4.62)	47.29 (-24.74)	36.66 (-27.36)	0.00 (-)	105.81 (-47.48)
7	31 मार्च 2014 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)#	उधारकर्ताओं की संख्या	110 (105)	13 (10)	40 (30)	3 (-)	166 (145)	483 (376)	35 (69)	78 (133)	9 (5)	605 (583)
		बकाया राशि	21134.61 (14914.32)	836.09 (586.44)	5066.44 (2199.60)	499.74 (-)	27536.88 (17620.36)	3834.26 (2565.65)	251.71 (542.73)	1209.96 (525.36)	86.17 (0.41)	5382.10 (3634.15)
		संबन्धित प्रावधान	1636.32 (1384.65)	60.34 (39.78)	520.73 (82.90)	0.10 (-)	2217.49 (1507.33)	117.21 (108.33)	22.89 (66.92)	169.89 (53.31)	0.04 (-)	310.03 (228.56)

क्रम सं	पुनर्संरचना के तरीके		अन्य (3)					कुल (4)				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
	विवरण											
1	1 अप्रैल 2013 तक पुनर्संरचनावाले खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की संख्या	5213 (6112)	676 (511)	411 (255)	49 (4)	6349 (6882)	5644 (7825)	737 (665)	568 (496)	52 (6)	7001 (8992)
		बकाया राशि	15248.66 (11909.60)	1914.98 (1105.01)	5236.83 (3998.70)	52.17 (65.91)	22452.63 (17079.21)	32227.68 (21400.87)	2952.13 (1656.22)	7878.54 (5009.93)	52.51 (66.09)	43110.86 (28133.10)
		संबन्धित प्रावधान	487.40 (204.30)	81.20 (88.36)	742.99 (660.32)	3.55 (60.05)	1315.13 (1013.03)	1978.94 (1035.74)	187.17 (121.92)	878.81 (809.91)	3.55 (60.05)	3048.47 (2027.62)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नयी पुनर्संरचना *	उधारकर्ताओं की संख्या	772 (2211)	367 (134)	487 (88)	19 (6)	1645 (2439)	1074 (2478)	397 (171)	556 (133)	20 (7)	2047 (2789)
		बकाया राशि	10856.98 (9609.83)	834.37 (867.38)	1270.04 (715.12)	64.97 (0.18)	13026.36 (11192.50)	25384.32 (21424.92)	1733.52 (1445.16)	2840.73 (2548.85)	171.10 (0.22)	30129.68 (25419.14)
		संबन्धित प्रावधान	464.39 (280.31)	168.76 (41.17)	378.88 (55.88)	1.17 (0.07)	1013.20 (377.43)	1483.81 (1230.26)	214.39 (103.83)	763.78 (555.25)	55.86 (0.07)	2517.83 (1889.41)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की संख्या	66 (147)	-57 (-140)	-9 (-7)	0 (-)	0 (-)	73 (159)	-59 (-149)	-14 (-10)	0 (-)	(-) (-)
		बकाया राशि	288.60 (192.50)	-13.18 (-177.37)	-275.43 (-15.13)	0.00 (-)	0.00 (-)	465.69 (360.48)	-45.84 (-238.32)	-419.86 (-122.16)	0.00 (-)	(-) (-)
		संबन्धित प्रावधान	26.23 (94.07)	0.15 (-92.04)	-26.08 (-2.03)	0.00 (-)	0.00 (-)	32.89 (161.47)	-6.23 (-103.35)	-26.66 (-58.12)	0.00 (-)	(-) (-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान और / या जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-74 (-2480)				-74 (-2480)	-93 (-3852)				-93 (-3852)
		बकाया राशि	-3604.84 (-2661.65)				-3604.84 (-2661.65)	-4028.75 (-3621.41)				-4028.75 (-3621.41)
		संबन्धित प्रावधान	-5.48 (-17.08)				-5.48 (-17.08)	-21.11 (-94.29)				-21.11 (-94.29)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	उधारकर्ताओं की संख्या	-950 (-550)	583 (322)	351 (189)	16 (39)	0 (-)	-999 (-601)	579 (333)	395 (225)	25 (43)	(-) (-)
		बकाया राशि	-2986.85 (-1622.59)	188.84 (639.80)	2616.86 (982.23)	181.15 (0.55)	0.00 (-)	-8235.98 (-2751.90)	-326.06 (901.42)	7901.43 (1849.50)	660.61 (0.97)	0.00 (-)
		संबन्धित प्रावधान	-88.79 (-64.85)	-28.57 (32.52)	108.72 (32.33)	8.65 (-)	0.00 (-)	-491.01 (-116.42)	-38.26 (34.77)	517.75 (81.65)	11.53 (-)	0.00 (-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन **	उधारकर्ताओं की संख्या	1256 (277)	481 (169)	490 (120)	7 (2)	2234 (568)	1335 (365)	518 (283)	637 (276)	8 (4)	2498 (928)
		बकाया राशि	1720.94 (2679.99)	1096.01 (611.86)	2906.05 (447.34)	132.48 (14.54)	5855.47 (3753.72)	2762.47 (4585.29)	1396.96 (812.35)	5982.19 (1407.58)	132.50 (14.77)	10274.12 (6819.98)
		संबन्धित प्रावधान	195.76 (10.79)	47.36 (-10.47)	946.72 (3.90)	9.69 (56.58)	1199.54 (60.80)	541.99 (237.82)	99.96 (-30.01)	1185.28 (509.88)	67.12 (56.58)	1894.36 (774.27
7	31 मार्च 2014 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति) #	उधारकर्ताओं की संख्या	3771 (5163)	1088 (658)	750 (405)	77 (47)	5686 (6273)	4364 (5644)	1136 (737)	868 (568)	89 (52)	6457 (7001)
		बकाया राशि	18081.62 (14747.70)	1829.00 (1822.96)	5942.25 (5233.58)	165.81 (52.10)	26018.68 (21856.34)	43050.49 (32227.67)	2916.79 (2952.13)	12218.66 (7878.54)	751.72 (52.51)	58937.66 (43110.85)
		संबन्धित प्रावधान	688.00 (485.96)	173.87 (80.48)	257.78 (742.60)	3.66 (3.54)	1123.32 (1312.58)	2441.53 (1978.94)	257.10 (187.18)	948.40 (878.81)	3.81 (3.54)	3650.84 (3048.47)

* नए परिवर्धन में वर्तमान खाते की कुल राशि ₹ 4,288.95 करोड़ के बकाया राशि में हुई वृद्धि भी शामिल है।

** बट्टे खाते में ₹2688.68 करोड़ की राशि शामिल है। यह कमी खाता बंदी के कारण हुई है और वर्तमान खाते की कुल राशि ₹ 1812.59करोड़ में वृद्धि शामिल है।

मानक पुनर्संरचना अग्रिम को छोड़कर जो उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार (यदि कोई) को लागू नहीं करता है ।

ग) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए स्टॉक का विवरण और उन पर की गई वसूलियाँ :

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
i) 1 अप्रैल को तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष	निरंक	निरंक
ii) योग : तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	निरंक	निरंक
iii) उप कुल (क)	निरंक	निरंक
iv) घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	निरंक	निरंक
v) 31 मार्च तक इतिशेष (क - ख)	निरंक	निरंक

घ) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	255.00	2
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	1,487.52	6.42
iii) समग्र प्रतिफल*	1604.92	27.11
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	निरंक
v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ (हानि)	117.40	20.69

* भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल बही मूल्य/मूल्य विक्रय मूल्य पर शामिल करके प्रकट किए गए हैं।

ङ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

च) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की संख्या	236	6
2) कुल बकाया राशि	3725.90	139.96
3) कुल प्रस्तावित मूल्य प्रतिफल	1672.98	45.84

छ) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा मानक आस्तियों पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	6,575.43	5,289.58

छ) व्यवसाय अनुपात :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	7.57%	7.76%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.03%	1.04%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.78%	2.01%
iv. आस्तियों पर प्रतिलाभ *	0.65%	0.97%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹हजार में)	106,375	94,389
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹हजार में)	485.47	645.47

* (निवल आस्तियों के आधार पर)

ज) आस्ति देयता प्रबंधन : 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

₹ करोड़ में

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 मास	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	79,195.61	31,805.04	25,840.40	26,421.54	88,873.24	1,04,788.39	1,88,422.31	2,92,956.16	1,48,532.17	4,07,573.64	13,94,408.50
	(44,414.22)	(22,481.11)	(22,533.15)	(24,714.75)	(49,399.81)	(88,325.85)	(1,80,116.77)	(3,36,798.25)	2,24,094.01)	(2,09,861.65)	(12,02,739.57)
अग्रिम	1,29,202.87	7,791.49	13,189.69	7,071.30	41,231.15	42,066.55	68,304.91	5,60,674.65	1,30,009.54	2,10,286.57	12,09,828.72
	(97,506.39)	(7,028.89)	(12,010.67)	(8,620.34)	(47,231.34)	(43,115.51)	(41,753.47)	(5,02,134.63)	(1,15,593.50)	(1,70,621.81)	(10,45,616.55)
जमाराशियाँ	32.25	219.80	138.78	7,352.95	15,281.72	5,819.14	17,899.02	52,850.51	81,912.51	2,16,801.51	3,98,308.19
	(75.99)	(1,557.83)	(5,113.23)	(4,313.41)	(2,33,00.54)	(15,973.75)	(11,899.25)	(47,102.13)	(65,736.09)	(1,75,805.28)	(3,50,877.50)
उधार-राशियाँ	1,573.81	12,195.05	5,335.61	5,803.97	33,984.67	21,323.88	27,551.44	23,574.78	19,617.62	32,170.05	1,83,130.88
	(551.20)	(16,955.79)	(4,919.76)	(10,590.92)	(37,664.35)	(18,006.82)	(7,552.70)	(27,666.70)	(8,861.34)	(36,413.13)	(1,69,182.71)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	91,335.00	1,933.42	2,066.88	4,470.93	15,883.68	11,369.86	17,891.03	44,682.10	40,029.55	37,356.73	2,67,019.18
	(67,049.33)	(2,832.10)	(1,983.54)	(6,157.46)	(20,768.87)	(20,961.05)	(9,990.15)	(31,414.02)	(28,714.05)	(32,775.41)	(2,22,645.98)
विदेशी मुद्रा देयताएँ	27,799.57	13,613.23	3,956.01	9,385.88	47,340.79	20,377.06	46,983.85	49,453.36	32,992.43	2,274.94	254,177.12
	(19,192.37)	(12,784.44)	(6,168.25)	(14,976.21)	(35,035.92)	(24,080.39)	(24,246.59)	(40,932.48)	(16,320.81)	(4,719.07)	(1,98,456.53)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2013 के हैं)

18.5 ऋण-जोखिम

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है.

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
क)	प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
	i) आवासीय बंधक	1,56,145.83	1,50,165.96
	ऋण जो आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है यथा आवासीय संपत्ति प्राप्त हैं या प्राप्त होंगे या जो किराए पर हैं।	1,56,145.83	1,50,165.96
	-जिनमें से आवासीय इकाई खरीदने के लिए प्रति परिवार महानगरी क्षेत्रों (10 लाख से कम की जनसंख्या वाले) में ₹25 लाख तक एवं अन्य केंद्रों में ₹15 लाख तक प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों में गिने जाएंगे	69,270.80	87,575.87
	ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक भू संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, बहू किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम क्षेत्र, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि गैर-निधि आधारित सीमा भी एक्सपोजर में शामिल है।	17,503.82	14,973.37
	iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण-जोखिमों में निवेशः	714.76	607.12
	क) आवासीय	453.77	601.48
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	260.99	5.64
	अप्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण-जोखिम	16,799.84	7,839.94
कुल		**1,91,164.25**	**1,73,586.39**

ख) पूंजी बाजार

₹ करोड़ में

विवरण		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में - ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि का सिर्फ कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं किया गया है,	3,087.02	4,193.49
2)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर दिए गए ऋण अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसपीओंसहित) परिवर्तनशील बाडों,परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए बेजमानती (क्लीन) आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	5.04	5.36
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	3191.71	2,008.06
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/ परिवर्तनशील डिबेंचरों/इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण - प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है.	133.55	48.83
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार - नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	20.47	43.35
6)	संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/ बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों अथवा बेजमानती आधार पर संस्वीकृत ऋण	420.77	53.79
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	निरंक	निरंक
8)	शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.	निरंक	निरंक
9)	शेयरदलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	0.41	निरंक
10)	उद्यम - पूंजी निधियों से संबंधित ऋण -जोखिम (पंजीकृत तथा गैर -पंजीकृत दोनो)	1,172.9	856.47
पूंजी बाजार में कुल ऋण -जोखिम		**8,031.87**	**7,209.35**

ग) जोखिम वर्गवार देशगत जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है. यू के को छोड़कर किसी भी देश के लिए बैंक का देशगत जोखिम (निवल फंडेड) इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है। इसलिए यूएसए हेतु देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है.

₹ करोड़ में

जोखिम वर्ग	ऋण-जोखिम (निवल)		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	निरंक	1.90	निरंक	निरंक
बहुत कम	38,952.89	53,957.63	निरंक	27.11
कम	240.69	11.61	निरंक	निरंक
मध्यम कम	31,557.39	29,021.20	21.98	26.25
मध्यम	3413.04	4,110.40	निरंक	निरंक
अधिक	1,085.53	374.30	निरंक	निरंक
अत्यधिक	1,938.39	2,224.39	निरंक	निरंक
प्रतिबंधित	2,397.95	2,323.03	निरंक	निरंक
ऋण अयोग्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग	**79,585.88**	**92,024.46**	**21.98**	**53.36**

घ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता तथा समूह उधारकर्ता ऋण - जोखिम सीमा का ब्योरा :

बैंक ने निम्नलिखित मामलों में यथोचित सीमा के अतिक्रमण में एकल उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम लिए :

₹ करोड़ में

उधारकर्ता का नाम	ऋण-जोखिम की उच्चत्तम सीमा	संस्वीकृत सीमा (चरम स्तर)	सीमा के अतिक्रमण की अवधि	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.	32,340.61	46010.17	अप्रैल 2013 से दिसंबर 2013	40778.49
	35342.1		मार्च 2014	
भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	19,404.37	21003.38	दिसंबर 2013	18890.18
	21,205.26			
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	19,404.37	20,470.02	दिसंबर 2013	15,047.32
	21,205.26			

टिप्पणी: आईओसीएल, भेल एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दी गई ऋण जोखिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी गई विवेकाधिकार के अधीन है । (प्रूडेंसियल सीमाओं के अतिरिक्त 5% पूंजीगत निधि)

आरबीआई ने आई ओ सी एल को दिये गए 1000 मिलियन अमेरिकी डालर (₹5991.50 करोड़) के ऋण जोखिम को विवेक पूर्ण ऋण जोखिम नियमों के अंतर्गत नहीं रखा है, जो अन्यथा इस ऋण में शामिल है। ₹5991.50 करोड़ को अलग करने के बाद आई ओ सी एल का ऋण जोखिम ₹40,018.67 करोड़ रह गया है जो कि बैंक के केपिटल फंड का 28.30% है ।

वर्ष के दौरान सभी उधारकर्ता समूहों के जोखिम, विवेकपूर्ण मानदंड के तहत आते हैं ।

ङ) **अप्रतिभूत अग्रिम** (₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
क) बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	1,99,057.88	1,81,561.88
i) इनमें से अग्रिमों की राशि, जो शेयर,लाइसेंस, प्राधिकार आदि के रुप में मूर्त प्रतिभूतियों के प्रभार पर बकाया है.	5,654.07	3,654.02
ii) इन मूर्त प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य (ऊपर (i) के अनुसार)	24,391.94	15,236.41

18.6 विविध :

क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अर्थदंडों का प्रकटन

₹ 3.00 करोड़ (पिछले वर्ष निरंक)

ख) एस जी एल फार्मों के उल्लंघन पर लगाए गए

अर्थदंड बैंक पर एस जी एल फार्मों के उल्लंघन पर किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

18.7 लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

क) लेखा नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव

i. लायल्टी रिवर्ड पॉइंट्स का लेखांकन

लोयल्टी रिवार्ड पाइंट पाए देयताओं के लेखांकन को वास्तविक रूप से बीमांकिक में बदल दिया गया है। इससे बैंक के मुनाफे में ₹55.48 करोड़ बढ़ गया।

ii. हार्डवेयर के अभिन्न हिस्से के रूप में उपलब्ध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मूल्यह्रास की नीति वर्ष के दौरान हार्डवेयर के अभिन्न हिस्से के रूप में उपलब्ध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मूल्यह्रास की दर को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर अवलिखित मूल्य के 60% से बदल कर 33.33% कर दिया गया है । इस परिवर्तन के कारण ₹8.13 करोड़ के पूर्व अवधि के अतिरिक्त मूल्यह्रास का वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया और वर्ष के लिए मूल्यह्रास घट कर ₹28.54 करोड़ हो गया। परिणाम स्वरूप अचल आस्तियां एवं कर पूर्व लाभ में ₹20.41 करोड़ की वृद्धि हुई।

ख) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी की स्थिति को निम्न तालिका में प्रस्तुत की किया गया है।

(₹करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2013 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	39,564.21	36,525.68	7,050.57	6,462.82
वर्तमान सेवा लागत	872.37	1,071.90	151.79	155.32
ब्याज लागत	3,362.96	3,196.00	581.67	549.34
पूर्व सेवा लागत(निहित लाभ)		-	-	-
एक्चुरियल हानि (लाभ)	4,200.33	1,044.60	(135.41)	509.62
संदत्त लाभ	(58.67)	(41.50)	(810.55)	(626.53)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,704.21)	(2,232.47)	-	-
31 मार्च 2014 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	45,236.99	39,564.21	6,838.07	7,050.57
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2013 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	35,017.57	27,205.57	6,549.31	5,251.79
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,011.51	2,339.68	569.79	451.65
नियोक्ता द्वारा अंशदान	3,971.20	5,094.24	758.17	1,409.94
प्रदत्त हितलाभ	(58.67)	(41.50)	(810.55)	(626.53)
योजना आस्तियों पर एक्चुरियल लाभ/(हानि)	335.40	419.58	23.87	62.46
31 मार्च 2014 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	42,277.01	35,017.57	7,090.59	6,549.31
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2014 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	45,236.99	39,564.21	6,838.07	7,050.57
31 मार्च 2014 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	42,277.01	35,017.57	7,090.59	6,549.31
कमी / (अधिशेष)	2,959.98	4,546.64	(252.52)	501.26
लेखे मे नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत(निहित) इतिशेष	-	-	-	200.00
लेखे मे नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता / (आस्ति)	2,959.98	4,546.64	(252.52)	301.26
तुलनपत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	45,236.99	39,564.21	6,838.07	7,050.57
आस्तियाँ	42,277.01	35,017.57	7,090.59	6,549.31
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/ (आस्ति)	2,959.98	4,546.64	(252.52)	501.26
लेखे मे नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	200.00
लेखे मे नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएं / आस्तियां	2,959.98	4,546.64	(252.52)	301.26
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	872.37	1,071.90	151.79	155.32
ब्याज लागत	3,362.96	3,196.00	581.67	549.34
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(3,011.51)	(2,339.68)	(569.79)	(451.65)
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (परिशोधित) इतिशेष		-	200.00	100.00
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) इतिशेष		-	-	-
वर्ष के दौरान शामिल निवल एक्चुरियल हानियाँ (लाभ)	3,864.93	625.02	(159.28)	447.16
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	5,088.75	2,553.24	204.39	800.17
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और एक्चुरियल प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3,011.51	2,339.68	569.79	451.65
योजना आस्तियों पर एक्चुरियल लाभ/(हानि)	335.40	419.58	23.87	62.46
योजना आस्तियों पर एक्चुरियल प्रतिलाभ	3,346.91	2,759.26	593.66	514.11
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के अथ और इति शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2013 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	4,546.64	9,320.11	301.26	911.03
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	5,088.75	2,553.24	204.39	800.17
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,704.21)	(2,232.47)	-	-
अन्य प्रावधानों के नामे	-	-	-	-
आरक्षिति में मान्य	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(3,971.20)	(5,094.24)	(758.17)	(1,409.94)
तुलनपत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	2959.98	4,546.64	(252.52)	301.26

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का %	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	32.58	24.44
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	22.54	17.54
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	41.26	34.62
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	-	21.28
अन्य	3.62	2.12
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख एक्चुरियल प्राक्कलन ;

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	9.27%	8.50%	9.35%	8.25%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.70%	8.60%	8.70%	8.60%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

योजना में अधिकता / कमी

ग्रेच्युटी योजना

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2009 को समाप्त वर्ष	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	3,778.18	3,889.14	5,817.19	6,462.82	7,050.57	6,838.07
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,746.73	3,811.28	4,102.25	5,251.79	6,549.31	7,090.59
अंतर	31.45	77.86	1,714.94	1,211.03	501.26	(252.52)
लेखे मे नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	400.00	300.00	200.00	-
लेखे मे नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	31.45	77.86	1,314.94	911.03	301.26	(252.52)

एक्सपिरियंस समायोजन

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2009 को समाप्त वर्ष	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष
योजना देयता (लाभ)/हानि	(90.81)	(0.40)	879.37	367.64	459.56	210.19
योजना आस्ति लाभ/(हानि)	(1.24)	7.89	1.94	32.58	62.46	23.87

योजना में अधिशेष/कमी

पेंशन

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2009 को समाप्त वर्ष	31-03-2010 को समाप्त वर्ष	31-03-2011 को समाप्त वर्ष	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	19,328.72	21,715.61	33,879.30	36,525.68	39,564.21	45,236.99
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	13,710.13	14,714.83	16,800.10	27,205.57	35,017.57	42,277.01
अंतर	5,618.59	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64	2,959.98
लेखे मे नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
लेखे मे नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	5,618.59	7,000.78	17,079.20	9,320.11	4,546.64	2,959.98

एक्सपिरियंस समायोजन

योजना देयता (लाभ) /हानि	905.07	5,252.37	1,188.70	1,677.80	345.90	7,709.67
योजना आस्ति (हानि) /लाभ	124.74	233.12	282.65	130.16	419.58	335.40

भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमांकिक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है। इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव/सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान-सतत उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है। लेखापरीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित एक्चुरियल मूल्यांकन, कोई भी देयता प्रतिबद्धता नहीं दिखाता अतः वित्तीय वर्ष 2013-14 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है ।

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एक्चुरि द्वारा किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को निम्न टेबल के माध्यम से दिखाया गया है :

(₹करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2013 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	20,742.83	19,482.46
वर्तमान सेवा लागत	529.53	529.97
ब्याज लागत	1,838.65	1,593.27
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	656.87	654.91
एक्चुरियल हानि (लाभ)	-	784.39
संदत्त लाभ	(1,963.49)	(2,302.17)
31 मार्च 2014 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	21,804.39	20,742.83
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2013 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	21,223.41	19,729.16
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1,838.65	1,593.27
अंशदान	1,186.40	1,184.88
प्रदत्त हितलाभ	(1,963.49)	(2,302.17)
योजना आस्तियों पर एक्चुरियल लाभ/ (हानि)	81.45	1,018.27
31 मार्च 2014 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	22,366.42	21,223.41
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2014 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,804.39	20,742.83
31 मार्च 2014 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	22,366.42	21,223.41
कमी/(अधिशेष)	(562.03)	(480.58)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	562.03	480.58
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	529.53	529.97
ब्याज लागत	1,838.65	1,593.27
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1,838.65)	(1,593.27)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	529.53	529.97
तुलन पत्र में ली गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता/(आस्ति) का समाधान	-	-
1 अप्रैल 2013 को प्रारम्भिक निवल देयताएँ		
उपरोक्तानुसार व्यय	529.53	529.97
नियोक्ता का अंशदान	(529.53)	(529.97)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता/(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि के योजना आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

भविष्य निधि	
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का%**
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	38.97
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	16.63
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	41.08
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	-
अन्य	3.32
योग	**100.00%**

प्रमुख एक्चुरियल प्राक्कलन;

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	9.35%	8.50%
निर्धारित प्रतिलाभ	8.75%	8.25%
पलायन दर	2.00%	2.00%

iii. नियत अंशदान योजना

बैंक ने 01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई नियत अंशदान पेंशन योजना कार्यान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार के देखरेख में किया जायेगा. एन पी एस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹115.25 करोड़ का अंशदान दिया है (पिछले वर्ष ₹67.73 करोड़ था)।

iv. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ

₹ (-) 164.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 502.25 करोड़) की राशि का प्रावधान दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के लिए किया है और इसे लाभ और हानि खाते में ''कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण :

₹ करोड़ में

क्रम सं.	**दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश (नकदीकरण)	366.46	407.59
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	(33.11)	24.96
3	अस्वस्थता अवकाश	(392.42)	18.17
4	रजत जयंती अवार्ड	(22.99)	12.24
5	अधिवर्षता पर पुनर्निपटान व्यय	(2.07)	1.44
6	आकस्मिक अवकाश	(82.55)	17.89
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	2.39	19.96
योग		**(164.29)**	**502.25**

पिछले वर्ष तक संचित चिकित्सा अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश के लिए बैंक ने ₹474.97 करोड़ का प्रावधान किया है। चूंकि चिकित्सा अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश का नकदीकरण नहीं हो सकता एवं बैंक को भी इन क्षतिपूर्ति अवकाश अनुपस्थितियों पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता है, इसलिए इस वर्ष के दौरान तक बीमांकिक द्वारा आकलित की गई देयताएँ निरंक है और अतिरिक्त प्रावधान को वापस कर दिया गया है।

ख) खंड सूचना

1. खंड अभिनिर्धारण

I) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है :-

- राजकोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक् व्यवस्था नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

i) **कोष** - कोष खंड में समस्त निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं. कोष खंड की आय मूलतः व्यापार-परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो का ब्याज-आय पर आधारित है.

ii) **कारपोरेट/थोक बैंकिंग** - कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण - गतिविधियाँ सम्मिलित हैं. इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेन-देन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं. इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं.

iii) **खुदरा बैंकिंग** - खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं. इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित - वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं. एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं.

iv) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय** - जो खंड उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II) **द्वितीयक (भौगोलिक खंड)**

i) देशीय परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ

III) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है. कोषीय एवं कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं. बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक् इकाई सृजित की गई है. निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमाराशियों या उधारराशियों के रूप में उद्भूत होती हैं और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है.

IV) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा कोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं. सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं।

बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें अनाबंटित टियर में रखा गया है।

2. खंड सूचना

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	कोष	कारपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
राजस्व #	34,763.95	54,180.43	65,543.48	-	1,54,487.86
	(29,467.67)	(46,453.57)	(59,427.06)	(-)	(1,35,348.30)
अनाबंटित राजस्व #	-	-	-	-	415.86
					(343.64)
कुल राजस्व	-	-	-	-	1,54,903.72
					(1,35,691.94)
परिणाम #	1508.29	2,176.59	15,762.74	-	19,447.62
	(4,782.29)	(7,315.21)	(11,215.21)	(-)	(23,312.71)
अनाबंटित आय (+) /व्यय (-) - निवल #	-	-	-	-	(-)3273.73
					((-) 3,361.82)
परिचालन लाभ #	-	-	-	-	16,173.89
					(19,950.89)
कर #	-	-	-	-	5,282.72
					(5,845.91)
असाधारण लाभ #	-	-	-	-	-
निवल लाभ #	-	-	-	-	10,891.17
					(14,104.98)
अन्य सूचना:					
खंड आस्तियाँ	4,23,098.66	7,07,907.27	6,45,978.57	-	17,76,984.50
	(3,73,533.96)	(5,82,664.07)	(5,96,698.77)	(-)	(15,52,896.80)
अनाबंटित आस्तियाँ *	-	-	-	-	15,250.10
	-	-	-	-	(13,314.47)
कुल आस्तियाँ*	-	-	-	-	17,92,234.60
	-	-	-	-	(15,66,211.27)
खंड देयताएँ *	2,14,629.31	6,20,852.90	7,87,170.47	-	16,22,652.68
	(1,99,998.27)	(4,91,994.55)	(7,29,632.90)	(-)	(14,21,625.72)
अनाबंटित देयताएँ*	-	-	-	-	51,299.67
	-	-	-	-	(45,701.87)
कुल देयताएँ *	-	-	-	-	16,73,952.35
	-	-	-	-	(14,67,327.59)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

₹ करोड़ में

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

₹ करोड़ में

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय#	1,45,647.12	1,27,139.47	8,840.74	8,208.83	1,54,487.86	1,35,348.30
परिणाम#	16,377.14	20,026.46	3070.48	3,286.25	19,447.62	23,312.71
आस्तियाँ*	15,24,746.71	13,39,476.62	2,67,487.89	2,26,734.65	17,92,234.60	15,66,261.27
देयताएँ*	14,06,464.46	12,40,592.94	2,67,487.89	2,26,734.65	16,73,952.35	14,67,377.36

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार

ग) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

1 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियां

i. देशीय बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
5. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

ii. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई(मॉरीशस) लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
4. कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को
5. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
6. नेपाल एसबीआई बैंक लि.
7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड

iii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
3. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
4. एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज लि.
5. एसबीआई कैप वैंचर्स लि.
6. एसबीआई कैप ट्रस्टी कं. लि.
7. एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
8. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिकुरीटीज सार्विसेज प्रा.लि.
12. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
13. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआईकैप (यूके) लि.
2. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.
3. एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि
2. सी-एज टेकनोलॉजीज लि.
3. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
5. एसबीआईमैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
6. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा.लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मेघालय ग्रामीण बैंक
6. कृष्णा ग्रामीण बैंक (22.08.2013 तक)
7. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
8. मध्यांचल ग्रामीण बैंक

9. मिज़ोरम रूरल बैंक
10. नागालैंड रूरल बैंक
11. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
12. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
13. उत्कल ग्रामीण बैंक
14. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
15. वनांचल ग्रामीण बैंक
16. मरुधरा ग्रामीण बैंक
17. डेक्कन ग्रामीण बैंक
18. कावेरी ग्रामीण बैंक
19. मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. बैंक ऑफ भूटान लि.

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष (30.09.2013 तक)
2. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष (07.10.2013 से)
3. श्री हेमंत जी कंट्रेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (अं. बै.)
4. श्री ए. कृष्णकुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (रा. बै.)
5. श्री दिवाकर गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (31.07.2013 तक)
6. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (02.08.2013 से 06.10.2013 तक)
7. श्री एस विश्वनाथन, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगी)
8. श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (कारपोरेट बैंकिंग) (27.12.2013 से)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेन-देन किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार - नियंत्रित उद्यम' रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

3. लेनदेन और शेष राशियाँ :

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
वर्ष के दौरान लेन देन			
प्राप्त ब्याज	0.02	-	0.02
	(-)	(-)	(-)
संदत्त ब्याज	4.00	-	4.00
	(1.06)	(-)	(1.06)
लाभांश के माध्यम से प्राप्त की गई आय	12.24	-	12.24
	(15.22)	(-)	(15.22)
अन्य आय	-	-	-
	(17.81)	(-)	(17.81)
अन्य व्यय	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
प्रबंधन संविदाएँ	-	1.08	1.08
	(-)	(0.95)	(0.95)
31 मार्च को बकाया			
देयताएं	96.11	-	96.11
	(154.21)	(-)	(154.21)
प्राप्तियाँ	-	-	-
	(-)	(-)	(-)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं

इस वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी का लेनदेन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

ङ) **परिचालन पट्टे हेतु देयताएं*:**

परिचालन लीज पर लिए गए परिसर का ब्योरा नीचे दिया गया है

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष के पश्चात् नहीं	135.06	112.44
1 वर्ष के पश्चात् और 5 वर्षों के पश्चात् नहीं	434.85	388.60
5 वर्षों के पश्चात्	109.27	117.79
योग	**679.18**	**618.83**
वर्ष के लाभ और हानि खाते में शामिल पट्टा भुगतान की राशि	153.90	114.15

परिचालन पट्टों में पहले कार्यालय परिसर तथा स्टाफ आवास, जिनका बैंक के विकल्पानुसार नवीकरण किया जाना है, शामिल हैं.

* केवल निरस्त न होने वाले पट्टे के संबंध में

च) **प्रति शेयर उपार्जन :**

बैंक ने लेखा मानक 20, ''प्रति शेयर उपार्जन'' के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है. वर्ष के दौरान, कर के पश्चात् निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर ''मूल आय'' की गणना की गई है. वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य ईक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं.

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
वर्ष के आरम्भ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	68,40,33,971	67,10,44,838
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	6,25,39,121	1,29,89,133
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	74,65,73,092	68,40,33,971
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	69,47,83,910	67,14,72,052
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	69,47,83,910	67,14,72,052
निवल लाभ (₹करोड़ में)	10,891.17	14,104.98
प्रति शेयर मूल आय (₹)	156.76	210.06
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	156.76	210.06
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10	10

छ) **आय पर कर का लेखांकन**

i) **आस्थगित कर**

क) वर्ष के दौरान आस्थगित कर बाबत लाभ और हानि खाते में ₹1055.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹107.97 करोड़ नामे किया गया) जमा किया गया .

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने मानक पुनर्संरचित आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान पर आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की है, जिनकों अभी तक गणना में नहीं लिया जाता था । तदनुसार ₹516.53 करोड़ की रकम इस वित्तीय वर्ष में गणना में ली गई है। (31.03.2013 तक की अवधि से संबन्धित ₹245.05 करोड़ की राशि भी शामिल है।)

ii) बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर देयता ₹ 2,837.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹628.92 करोड़) है, जिसे ₹अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत रखा गया है. (पिछले वर्ष अन्य आस्तियां)। प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अलग-अलग विवरण निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण नियत हितलाभ योजना के लिए प्रावधान	72.05	72.05
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1235.19	2,126.16#
पुनर्संरचना मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	516.43	Nil
अचल आस्तियों के मूल्यह्रास पर	Nil	7.55
अन्य		Nil
विदेशी कार्यालयों के कारण निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)	511.82	282.16
योग	**2,335.49**	**2,487.92**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	8.56	Nil
प्रतिभूतियों पर ब्याज*	3280.02	3,116.84
आयकर अधिनियम 1961 के धारा 36 (1)(VIII) के अधीन विशेष रिजर्व निर्मित	1884.74$	Nil
योग	**5,173.32**	**3,116.84**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/ (देयताएँ)	**(2,837.83)**	**(628.92)**

इसमें कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के लिए किए गए ₹922.15 करोड़ के प्रावधान के कारण उपचित कर साख शामिल है।

* आयकर खाता में अंतरित ₹336.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹917.04 करोड़ आयकर खाता से अंतरित) शामिल है।

$. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार राजस्व एवं अन्य आरक्षितों से ₹ 1525.13 करोड़ का अंतरण भी शामिल हैं।

ज) **संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के निवेशों में ₹38.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹38.14 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹करोड़ में	देश	धारिता %
1	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	9.44 (9.44)	भारत	40%
2	सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
3	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
4	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45%
5	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
6	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.#	0.78 (0.64)	बरमुडा	45%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्र.लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%

एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रखे गए शेयर के आधार पर कम्पनी ने 100% प्रावधान किया है (वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए अतिरिक्त निवेश को छोड़कर।)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

लेखा मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

(₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 14 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 13 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	130.61	125.43
जमाराशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	10.91	12.65
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	109.30	78.76
योग	**250.82**	**216.84**
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और जमाराशियाँ	-	-
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	111.79	88.31
निवेश	0.65	0.48
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	42.03	41.22
अन्य आस्तियाँ	96.35	86.83
योग	**250.82**	**216.84**
पूँजी वायदे		
अन्य आकस्मिक देयताएँ	2.95	3.11
आय		
अर्जित ब्याज	6.13	7.44
अन्य आय	249.15	208.89
योग	**255.28**	**216.33**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	1.52	1.37
परिचालन व्यय	198.54	170.56
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	13.97	11.63
योग	**214.03**	**183.56**
लाभ	**41.25**	**32.77**

झ) आस्तियों की अपसामान्यता

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28-आस्तियों की अपसामान्यता लागू होती हो.

झ) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों लेखा मानक 29 का विवरण

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है. बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा. बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है.
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है. वायदा विनिमय संविदाओं में विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है. मुद्रा विनिमयों का वायदा पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए है. ब्याज दर विनिमय का वायदा अचल विनिमय एवं अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए है. आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं.
3	ग्राहकों, बिलों और हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है. प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है. गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा.
4	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है.	बैंक द्वारा इस पर विरोध दर्ज कराया गया हैं और इसके लिए प्रावधान भी नहीं किया गया हैं। इसी क्रम में इस मद के अतर्गत बैंक की ओर से किए गए डेरीवेटिव्स संविदा को शामिल किया गया है

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं.

ख) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	256.21	262.44
वर्ष के दौरान वृद्धि (पिछले वर्ष के आंकड़ों में पूर्ववती एसबीआईसीआई से अंतरित प्रावधान भी शामिल है)	87.59	68.47
वर्ष के दौरान कमी	16.49	74.70
इति शेष	327.31	256.21

18.8 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- चालू कर	4,359.74	5,951.06
- आस्थगित कर	1,055.25	(107.97)
- आय कर/फ्रिंज लाभ कर का प्रतिलेखन	(142.28)	0
- अन्य कर	10.00	2.82
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	563.25	(961.29)
प्रतिचक्रीय सुरक्षित राशि से आहरण	(750.00)	0
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	14,478.45	10,656.97
पुनर्विन्यासित आस्तियों के लिए प्रावधान	495.12	710.82
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1260.69	749.61
अन्य प्रावधान	(112.16)	(25.28)
योग	**21,218.06**	**16,976.74**

2. अस्थायी प्रावधान

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	25.14	25.14
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
इति शेष	25.14	25.14

3. आरक्षितियों से आहरण :

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षितियों से निम्नलिखित राशि आहरित की है:(₹करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
अंतर कार्यालय समाशोधन के मद में	0	0.21
आयकर अधिनियम के धारा 36(1)(VIII) के अधीन बनाएँ गए निर्मित आस्थिगत कर देयताएँ	1,525.13	0

4. शिकायतों की स्थिति :

ग्राहक शिकायतें

विवरण	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	32,705	13,414
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	15,03,638	18,86,249
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	15,14,930	18,66,958
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	21,413	32,705

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	28	21
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	63	159
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	82	152
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	9	28

5. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विलम्बित मूलधन या ब्याज के भुगतान के कारण दायर किए गए मामलों की कोई सूचना नहीं है.

6. अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

बैंक ने अपनी अनुषंगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2014 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कुल बकाया राशि ₹1914.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹477.19 करोड़) थी. बैंक के आकलन के अनुसार कोई वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं.

7. प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात :

31 मार्च 2014 तक बैंक का अर्नजक आस्तियां अनुपात हेतु 62.86% प्रावधानीकरण किया गया है (पिछला वर्ष 66.58%)।

8. बैंक - बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस / पारिश्रमिक

₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	222.05	212.03
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	48.41	29.62
मनु लाइफ फाइनंसियल लि. एवं (एन टीयूसी)	0.61	2.97
टोकियो मैरिन	1.52	-
योग	**272.59**	**244.62**

9. जमाराशियों/अग्रिमों तथा जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का क्रेंद्रीकरण

क. जमाराशियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	1,03,157.26	79,985.27
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	7.40%	6.65%

ख. अग्रिमों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस बड़े उधारकर्ताओं को किए गए अग्रिम	2,22,862.28	1,11,717.95
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	17.90%	10.36%

ग. ऋण - जोखिमों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल ऋण - जोखिम	3,32,789.45	2,47,179.38
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण - जोखिम में बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण-जोखिम का प्रतिशत	16.88%	14.08%

घ) अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों के कुल ऋण - जोखिम	4,782.78	2,797.98

10. क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ

क्रम सं.	क्षेत्र	कथित क्षेत्र के कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	8.11%	9.50%
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम तथा बड़े)	3.87%	4.37%
3	सेवाएं	5.18%	4.43%
4	वैयक्तिक ऋण	1.31%	1.98%

11. विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	2,67,487.89	2,26,734.65
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	3,786.64	2,811.27
3	कुल राजस्व	8,840.74	8,208.83

12. तुलनपत्र में शामिल न होने वाली प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम		
	देशीय	विदेशी
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. अपरिशोधित उपदान देयताएं

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी 2011 के परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 05 वर्ष की अवधि तक ग्रेच्युटी सीमा के बढ़ोतरी के परिणामस्वरुप अतिरिक्त देयताओं को परिशोधित करने का विकल्प चुना है. परंतु बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में बकाया गैर मान्यताप्राप्त देयताओं के लिए पूरी तरह से प्रावधान करने का निर्णय लिया है और तदनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष ₹200 करोड़ प्रभारित किया है .

14. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेन – देन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या *	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी के बही खातों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक
3.	तुलन पत्र की तिथि को एमएमआर के अनुपालन में बैंक द्वारा रखा गया कुल जोखिम की रकम क) तुलन पत्र से इतर जोखिम i) प्रथम हानि ii) अन्य ख) तुलन पत्र जोखिम i) प्रथम हानि ii) अन्य	निरंक	निरंक
4.	एमएमआर से इतर प्रतिभूतिकरण लेन – देन से संबंधित जोखिम की रकम क) तुलन पत्र से इतर जोखिम i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य ख) तुलन पत्र जोखिम i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम 1. प्रथम हानि 2. अन्य	निरंक	निरंक

15. अंतर कार्यालय खाता

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है.

16. अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान

वर्ष के दौरान बैंक ने पिछले वर्षों (2011-12 एवं 2012-13) के दौरान ने कुछ देशीय अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए ₹2056.26 करोड़ के विशेष प्रावधान को उपयोग में लाया ताकि वसूली योग्य राशियों में होने वाले घाटे के लिए प्रावधान/वास्तविक घाटे को पूरा किया जा सके।

17. बकाया वेतन करार

भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों के पक्ष से बैंक कर्मियों के अखिल भारतीय संगठनों के साथ किए गए नवां द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर 2012 को समाप्त हो चुका है। 1 नवम्बर 2012 से प्रभावी वेतन संसोधन पर आगे होने वाले समझौते के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान ₹1814 करोड़ (पिछले वर्ष ₹720 करोड़) का प्रावधान किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अधिवर्षिता योजनयों और अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी हितलाभों के लिए ₹540 करोड़ (पिछले वर्ष ₹225 करोड़) का अतिरिक्त तदर्थ प्रावधान किया है।

18. प्रति-चक्रीय सुरक्षित राशि

भारतीय रिजर्व बैंक ने "अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर" पर दिनांक 7 फरवरी 2014 के अपने परिपत्र क्रमांक DBOD. NO.BP.95/21.04.048/2013-14 के माध्यम से बैंकों को 31 मार्च 2013 तक उनके द्वारा धारित प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी) के 33% तक को संबन्धित बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के लिए व्यवहार में लाने की अनुमति दी है। तदनुसार बैंक ने ₹750 करोड़ की सीसीपीबी का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति एवं बोर्ड की अनुमति से अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया है (यह राशि अधिकतम सीमा यानि 31.03.2013 तक बैंक द्वारा धारित ₹3,430 करोड़ के 33% अर्थात ₹1,132 करोड़ के अंदर ही है)

19. आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष निधि पर आस्थगित कर देयता

भारतीय रिजर्व बैंक ने "आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष निधि (रिजर्व) पर आस्थगित कर देयता" पर दिनांक 20 दिसंबर 2013 के अपने परिपत्र क्रमांक DBOD.NO. BP.BC.77/21.04.018/2013-14 के माध्यम से सूचित किया है कि एक विवेक पूर्ण निर्णय के रूप में विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने बैंक ने बैंकों को अनुमति दी है कि वे 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार विशेष आरक्षित निधि के संबंध में डीटीएल के लिए प्रावधान की गई राशि का आरक्षित निधियों के सामने समायोजन करें और वर्ष 2013-14 से विशेष आरक्षित निधि के संबंध में डीटीएल के लिए प्रावधान की गई राशि को लाभ एवं हानि खातों में प्रभारित किया जाना चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च 2013 को ₹4,487 करोड़ के विशेष आरक्षित निधि के संबंध में डीटीएल के लिए सृजित की गई राशि से 152.13 करोड़ की राशि का समायोजन किया गया है। इसके अलावा, इस वर्ष के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के संबंध में डीटीएल के लिए प्रावधान करने हेतु ₹359.61 करोड़ की राशि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

20. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप मिलाने की दृष्टि से उन्हें यथावश्यक, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है. जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किया गया है उनके पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(000s को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व निवल लाभ		**16173,88,65**	**19950,89,77**
समायोजन			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		1333,93,66	1139,60,76
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		38,64,16	32,71,93
निवेशों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		202,68,32	3,78,17
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		14223,56,87	11367,78,46
मानक आस्तियों पर प्रावधान		1260,68,85	749,60,48
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		563,25,29	(961,28,84)
अन्य प्रावधान		(112,16,01)	(25,27,51)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश (निवेश कार्यकलाप)		(496,85,99)	(715,51,40)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज (वित्तपोषण कार्यकलाप)		3686,48,24	3614,89,51
		36874,12,04	**35157,21,33**
समायोजन :			
जमाराशियों में वृद्धि/कमी		191668,93,05	159092,21,21
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		11596,29,40	41964,09,55
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि)/कमी		(46927,10,88)	(37718,26,11)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(178435,73,48)	(189405,44,77)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		(473,80,50)	12493,06,02
अन्य देयताओं और प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी		10941,71,71	2097,11,12
		25244,41,34	**23679,98,35**
कर भुगतान		(11136,99,51)	(2027,31,13)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न/ (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**14107,41,83**	**21652,67,22**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/सहयोगी बैंकों में निवेश में (वृद्धि)/कमी		(1269,51,21)	(4,12,70)
ऐसे निवेशों पर आर्जित आय		496,85,99	715,51,40
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(2333,01,64)	(2702,23,94)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(3105,66,86)**	**(1990,85,24)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त राशि		10006,02,70	3000,34,14
Issue of Capital Instruments		2000,00,00	-
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		(3686,48,24)	(3614,89,51)
लाभांश पर कर सहित प्रदत्त लाभांश		(4508,37,72)	(2645,16,40)
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**3811,16,74**	**(3259,71,77)**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(ड़)**	**2916,55,11**	**1254,89,75**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	**(क)+(ख)+(ग)+(ड़)**	**17729,46,82**	**17656,99,96**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**114820,16,45**	**97163,16,49**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**132549,63,27**	**114820,16,45**

श्री एस. वैंकटाचलम
श्री डी. सुंदरम
श्री थॉमस मैथ्यू
श्री ज्योती भूषण महापात्रा
श्री एस. के. मुखर्जी
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह
निदेशक

श्री ए. कृष्ण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं
समूह कार्यपालक (आईबी)

श्री पी. प्रदीप कुमार
प्रबंध निदेशक एवं
समूह कार्यपालक (सीबी)

श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य
अध्यक्ष

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति,

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक की 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा-परीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के लेखे शामिल हैं:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, **14** स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), और **42** (बयालीस) शाखाओं के, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) **8252** भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखा-परीक्षा शाखा लेखा-परीक्षकों ने की, तथा

   iii) विदेश स्थित **54** शाखाएं जिसकी लेखापरीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की।

   हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा चुना गया। तुलनपत्र एवं लाभ हानि खाते में **8355** भारतीय शाखाओं एवं अन्य लेखांकन इकाइयों की विवरणियां भी शामिल है जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में **4.66%**, जमाराशियों में **18.75%**, ब्याज आय में **5.73%** तथा ब्याज व्यय में **18.28%** है।

वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन वर्ग का दायित्व

2. भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम - 1949 के प्रावधानों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा समाविष्ट लेखा – नीतियों एवं परंपराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों, जो बैंक की वित्तीय स्थिति का सटीक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक-प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी के अंर्तगत वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त है। इन जोखिमों के आकलन में प्रबंधन ने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं परिकल्पित प्रक्रियाओं जो परिस्थितियों के अनुरूप है, से संबंधित है ताकि बैंक के सभी कार्यकलापों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो।

लेखा-परीक्षकों का दायित्व

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें और अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं एवं निष्पादित करें ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल है। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के आकलन पर आधारित होती है। इन जोखिम आकलनों की जांच करते समय लेखापरीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेता है ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति बनाई जा सके लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों की जांच तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति की जांच भी की जाती है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा-साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए एवं जहां तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

   i) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही हैं, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह

31 मार्च 2014 को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;

ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

iii) नकदी प्रवाह विवरण इसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है।

ध्यानाकर्षण

7. हम अनुसूची 18 के टिप्पणी 18.8, लेखा-टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:

(क) पैरा-16: पिछले वर्षों के दौरान निश्चित किए गए प्रावधान में से ₹ 2,056.26 करोड़ के प्रावधानों के उपयोग से संबंधित।

(ख) पैरा-18: ₹750 करोड़ के प्रति चक्रीय प्रावधान अनर्जक आस्तियों के लिए निश्चित प्रावधान के उपयोग से संबंधित।

(ग) पैरा-19: भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित आस्थगित कर देयता के सृजन के लिए राजस्व एवं अन्य निधियों में ₹1,525.13 करोड़ दिखाने से संबंधित।

उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारे विचार किन्हीं शर्तों पर आधारित नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः 'क' और 'ख' फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 की सीमाओं के अध्यधीन और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि :

क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है।

ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं।

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप है।

कृते एस वेंकटराम एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी नारायण स्वामी
भागीदार : स.सं.: 002161
फर्म पंजी. सं. : 004656 एस

कृते एस. एन. नंदा एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. नंदा
भागीदार: सं.: 005909
फर्म पंजी. सं. 000685 N

कृते प्रकाश एंड संतोष
सनदी लेखाकार

अरुण कुमार
भागीदार : स.सं. 087378
फर्म पंजी. सं.: 000454 सी

कृते ऐड एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एस दे बंद्योपाध्याय
भागीदार: सं.स. 064055
फर्म पंजी. सं. 30806 ई

कृते मेहरा गोयल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर के मेहरा
भागीदार: स.सं. 006102
फर्म पंजी. सं. 000369 एन

कृते सिंघी एंड कं.
सनदी लेखाकार

राजीव सिंघी
भागीदार: स.सं. 053518
फर्म पंजी. सं.: 302049 ई

कृते श्रीराममूर्ति एंड कं.
सनदी लेखाकार

डी प्रसन्नकुमार
भागीदार. स.सं. 023999
फर्म पंजी. सं. 003032 एस

कृते धमीजा सुखीजा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

के.एम. सुखीजा
भागीदार. स.सं. 016942
फर्म पंजी. सं. 000369 एन

कृते वी. पी. आदित्य एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

वी पी आदित्य
भागीदार. स.सं. 006387
फर्म पंजी. सं.000542 सी

कृते एस आर आर के शर्मा एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एस आर आर के शर्मा
भागीदार. स.सं. 016304
फर्म पंजी. सं. 003790 एस

कृते एससीएम एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

पी. के. बाल
भागीदार. स.सं. 055147
फर्म पंजी. सं. 314173 ई

कृते टी आर चड्ढा एंड कं.
सनदी लेखाकार

विकास कुमार
भागीदार: स.सं. 075363
फर्म पंजी. सं.006711 एन

कृते के बी शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार

हेमंत शर्मा
भागीदार: स.सं. 503080
फर्म पंजी. सं. 002318 एन

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार

सुनिर्मल चटर्जी
भागीदार: स.सं. 017361
फर्म पंजी. सं. 309005 ई

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23 मई 2014